

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] No. 440] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2018/आषाढ़ 8, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2018/ASHADHA 8, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2018

का.आ. 600(अ).—कुसुम बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 जिन्हे कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 की अधिसूचना, संख्या सा०का०नि० 1153(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, धारा 3, उप धारा (i) में प्रकाशित किए गए थे, जिनमें ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिस तारीख को भारत के राजपत्र में प्रकाशित उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, 30 दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

उक्त सूचना की प्रतियां जनता को दिनांक 19 दिसम्बर, 2016 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त नियमों, के संबंध में जनता से कोई आक्षेप अथवा सुझावप्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः अब कृषि उपज(श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, नामशः—

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ।

(1) इन नियमों का नाम कुसुम बीज श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 2018 है।

3650GI/2018 (1)

- (2) ये सेपिंडेसिया फैमिली के रालेश्चेरा ऑलिओसा (लूर) मेर.सिन.एस.ट्राइजुगा बिल्ड पादप से प्राप्त कुसुम बीज पर लागू होंगे ।
- (3) ये सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम रूप से प्राकशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- 2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है ;
- (ख) ''प्राधिकृत पैकर'' से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय अभिप्रेत है जिसे इन नियमों के अधीन उपबंधित श्रेणी मानकों और विहित प्रक्रिया के अनुसार कुसुम बीज का श्रेणीकरण और उन्हें चिह्नांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र अनुदत्त किया गया है ;
- (ग) "प्राधिकार प्रमाण पत्र" से किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी निकाय को कुसुम बीज का श्रेणीकरण और चिह्नांकन करने और उन पर श्रेणी अभिधान चिह्न लगाने के लिए प्राधिकृत करते हुए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 के उपबंधों के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है :
- (घ) ''साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम'' से कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) की धारा 3 के अधीन बनाए गए साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम, 1988 अभिप्रेत हैं ;
- (इ) ''श्रेणी अभिधान चिह्न'' से नियम 5 में विनिर्दिष्ट एगमार्क अधिचिह्न अभिप्रेत है;
- (च) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।
- (2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिह्नांकन) अधिनियम, 1937 (1937 का 1) में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम और उक्त नियमों में हैं।
- 3. **श्रेणी अभिधान :** कुसुम बीज की क्वालिटी को दर्शित करने के लिए श्रेणी अभिधान अनुसूची-2 की सारणी के स्तम्भ 1 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगे ;
- 4. क्वालिटी: इन नियमों के प्रयोजनों के लिए कुसुम बीज की क्वालिटी अनुसूची-2 में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी;
- 5. **श्रेणी अभिधान चिह्न** : श्रेणी अभिधान चिह्न में प्राधिकार प्रमाण पत्र की संख्या, ''एगमार्क'' शब्द, वस्तु का नाम और अनुसूची 1 में दिए गए डिजाइन के सदृश श्रेणी अभिधान को सम्मिलित करते हुए डिजाइन से मिलकर बना ''एगमार्क प्राधिकार चिह्न" होगा ;
- 6. **पैक करने की पद्धति**: (1) कुसुम बीज की पैकिंग जूट से बने ठोस, स्वच्छ और शुष्क आधानों में या कपडे के थैलों या पोलीवोवन थैलों, जिनके अंदर की लाइनिंग खाद्य श्रेणी साम्रगी की हो, या पोलीप्रोपिलीन अथवा पॉलीथीन से बने पाउचों या पोलीप्रोपीलीन अथवा पॉलीथीन से लेमिनेटिड कागज के थैलों या जो कृषि विपणन सलाहकार द्वारा अथवा साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम उसके द्वारा 11 के अनुसार इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अन्य खाद्य श्रेणी सामग्री में पैक किया जाएगा।
- (2) पैक करने की सामग्री कीटों या फफूंद संदूषण से मुक्त होगी और अन्य विषैले पदार्थ या अवांछनीय गंध या उत्पाद के सुवास से रहित होगी।
- (3) कुसुम बीज की पैर्किंग विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ञ) और (थ) के साथ पठित उपखंड (1) के अधीन बनाए गए विधिक माप विज्ञान (पैकेज की गई वस्तुएं) नियम, 2011 के उपबंधों के अनुसार पैक आकारों में अथवा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

- (4) समान लॉट या बैच के छोटे पैक आकारों की श्रेणीकृत सामग्री को श्रेणी अभिधान चिह्न के साथ उसके सम्पूर्ण ब्यौरों के साथ बड़े आधान में पैक किया जा सकेगा।
- (5) प्रत्येक पैकेज में समान प्रकार के तथा समान श्रेणी अभिधान के कुसुम बीज अतंर्विष्ट होंगे ।
- (6) प्रत्येक पैकेज सुरक्षित रूप से बंद और मुहरबंद किया जाएगा जिससे कि किसी तरह के संदूषण को रोका जा सके ।
- 7. चिह्नांकन की पद्धित : (1) श्रेणी अभिधान चिह्न प्रत्येक पैकेज पर कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम 11 के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति से सुरक्षित रूप से चिपकाया जाएगा या मृद्रित किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक पैकेज पर श्रेणी अभिधान चिह्न के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टयां स्पष्टत: पहचाने जाने योग्य रूप में चिह्नांकित की जाएंगी, अर्थात :—
- (क) वस्तु का नाम;
- (ख) श्रेणी;
- (ग) किस्म या व्यवसाय नाम (वैकल्पिक);
- (घ) लॉट संख्या;
- (ड़) पैक करने की तारीख;
- (च) पैक करने के स्थान का पता;
- (छ) शुद्ध भार;
- (ज) पैकर का नाम और पता;
- (झ) अधिकतम खुदरा मूल्य (सभी करों सहित);
- (ञ) मास.....वर्ष.....से पूर्व उपभोग के लिए सर्वोत्तम;
- (ट) विधिक माप विज्ञान (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य विशिष्टियां जो विनिर्दिष्ट की जा सके अथवा कृषि विपणन सलाहकार द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा जारी अनुदेश।
- (3) पैकेजों पर चिह्नांकन के लिए प्रयुक्त स्याही ऐसी होगी जो कुसुम बीज को संदूषित न करे ।
- (4) प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी का साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 11 के अनुसार पूर्व अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात, श्रेणीकृत पैकजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिह्न या व्यापार ब्रांड चिह्नांकित करेगा, जो इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर लगाए गए श्रेणी अभिधान चिह्न द्वारा उपदर्शित क्वालिटी से भिन्न क्वालिटी उपदर्शित न करता हो।
- 8. **प्राधिकार प्रमाण पत्र की विशेष शतें :** (1) साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियम के नियम 3 के उपनियम (8) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्रत्येक प्राधिकृत पैकर कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी अन्य अनुदेशों का पालन करेगा।
- (2) परिसरों को स्वास्थप्रद और स्वच्छता की दशाओं के साथ उचित संवातन तथा अच्छी प्रकाश व्यवस्था में रखा जाएगा । इन संक्रियाओं में लगे कार्मिकों का अच्छा स्वास्थ्य होगा और वे किसी संचारी, संसर्गी या संक्रामक रोग से मुक्त होंगे ।
- (3) प्राधिकृत पैकर के पास पक्के फर्श वाली भंडारण सुविधाएं होंगी और वे कृन्तक और कीटों के उत्पीड़न से मुक्त होंगे।

(4) प्राधिकृत पैकर श्रेणीकरण, पैकिंग, चिह्नांकन, मुहरबंद और अभिलेखों के अनुरक्षण संबंधी कृषि विपणन सलाहकार या साधारण श्रेणीकरण और चिह्नांकन नियमों के अनुसार इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी सभी अनुदेशों का अनुपालन करेंगे।

अनुसूची-1

(नियम 5 देखें)

(एगमार्क अधिचिह्न का डिजाइन)



वस्तु	का	ना	म.	 	 			 		
श्रेणी				 	 	 	 			

अनुसूची- 2

(नियम 3 और नियम 4 देखें)

कुसुम बीज का श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

- 1. ऑयल मिलिंग के लिए कुसुम न कि मानव उपभोग के लिए बीज सेपिंडेसिया परिवार के शलेइचेरा ऑलिओसा (लूर) मेर सिन0एस0 ट्रिज़्गा विल्लड पादप से अभिप्राप्त किया जाएगा ।
- 2. न्यूनतम अपेक्षाएं : (i) कुसुम बीज निम्नप्रकार होगे:—
- (क) साबूत, पके हुए स्वच्छ और शुष्क बीज;
- (ख) समान आकार, आकृति और रंग के;
- (ग) जीवित और मृत कीटों, और कीट अंशों से मुक्त;
- (घ) फफूंदी के प्रभाव से मुक्त;
- (ड़) जोड़े गए कृत्रिम रंजक पदार्थ से मुक्त;
- (च) कृंतक बाल और मलमूत्र से मुक्त;
- (छ) कुसुम बीज के अतिरिक्त किसी अन्य पदार्थ से मुक्त;
- (ज) विकृत गंध से मुक्त;
- (ii) भूमि पर रखने और नमी करने पर बीजों से ताजी गंध आनी चाहिए।

3. कुसुम बीज श्रेणी अभिधान और क्वालिटी के लिए मानदंड:

सारणी

श्रेणी	आर्द्रता, भार	विजातीय	विजातीय	क्षति ग्रस्त, सिकुड़े	तेल अंतर्वस्तु	निकाले गए
अभिधान	द्वारा प्रतिशत	कार्बनिक पदार्थ,	अकार्बनिक	हुए और अपरिपक्व	(नमी मुक्त	तेल में अम्ल
	(अधिकतम)	भार द्वारा	पदार्थ, भार	्र बीज, भार द्वारा	आधार पर) भार	की मात्रा
		प्रतिशत	द्वारा प्रतिशत	प्रतिशत	द्वारा प्रतिशत	(अधिकतम)
		(अधिकतम)	(अधिकतम)	(अधिकतम)	(न्यूनतम)	
				,		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
स्पेशल	6.0	0.5	0.2	1.0	32.0	3.0
स्टैंडर्ड	6.0	1.0	1.0	2.0	30.0	5.0
जनरल	7.0	2.0	2.0	4.0	28.0	8.0

4 अन्य अपेक्षाएं:

- (i) कुसुम बीज की स्थिति ऐसी होगी कि—
 - (क) वह परिवहन और हथालन की स्थितियों को सहन कर सके और
 - (ख) उसे गंतव्य स्थान पर संतोषजनक स्थिति में पहुंचाया जा सके;
- (ii) कुसुम बीज को शुष्क स्थान पर भंडारित किया जाएगा तथा उसे स्वच्छ और साफ-सफाई वाली दशा में रखा जाएगा ।

स्पष्टीकरण:—

- 1. "कार्षनिक पदार्थ" में भूसी तिनके, तने और अन्य अखाद्य अनाज सम्मिलित है;
- 2. "अकार्बनिक पदार्थ" में धात्विक टुकड़े, रेत, कंकड, पत्थर, मिट्टी, मिट्टी के ढ़ेले, चिकनी मिट्टी के ढ़ेले तथा पशुओं की गंदगी सम्मिलित है।;
- 3. क्षतिग्रस्त बीजों का अभिप्राय: ऐसे बीजों से है जो गर्मी, सूक्ष्म जीवों और नमी के कारण अंदर से क्षतिग्रस्त होते हैं और जिन से क्वालिटी पर बहुत असर पड़ता है;
- 4. अपरिपक्व और सिकुड़े हुए बीजों से ऐसे बीज अभिप्रेत हैं जो पूर्णत: परिपक्व नहीं हैं।

[फा.सं. 18011/04/2014-एम-॥]

प्रसान्त कुमार स्वाईं, संयुक्त सचिव (विपणन)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE (Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

Notification

New Delhi, the 27th June, 2018

G.S.R. 600(E).—Whereas, the Kusum Seed Grading and Marking Rules, 2018, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937) was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R.1153(E), dated the 19th December, 2016 inviting objections and suggestions from all persons likely to

be affected thereby within thirty days from the date on which copies of the said notification published in the Gazette of India were made available to the public;

And, whereas, copies of the said notification were made available to the public on 19th December, 2016;

And, whereas, no objections or suggestions have been received from the public in respect of the said rules;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

- **1. Short title, application and commencement**.—(1) These rules may be called the Kusum Seed Grading and Marking Rules, 2018.
- (2) They shall apply to Kusum Seed obtained from the plant *Schleichera oleosa* (Lour.) Merr. Syn. *S. trijuga* Willd. of the family *Sapindaceae*.
- (3) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Agricultural Marketing Adviser" means the Agricultural Marketing Adviser to the Government of India;
 - (b) "authorised packer" means a person or a body of persons who has been granted a certificate of authorisation to grade and mark Kusum Seed in accordance with the grade standards and procedure provided under these rules;
 - (c) "certificate of authorisation" means a certificate issued under the provisions of the General Grading and Marking Rules, 1988 authorising a person or a body of persons to grade and mark Kusum Seed with the grade designation mark;
 - (d) "General Grading and Marking Rules" means the General Grading and Marking Rules, 1988 made under section 3 of the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937 (1 of 1937);
 - (e) "grade designation mark" means the Agmark insignia referred to in rule 5;
 - (f) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (2) Words and expression used in these rules and not defined but defined in the Agricultural Produce (Grading and Marking) Act, 1937(1 of 1937) and the General Grading and Marking Rules,1988 shall have the meanings respectively assigned to them in the said Act and the said rules.
- **3. Grade designations.**—The grade designations to indicate the quality of Kusum Seed shall be as set out in column (1) of the Table in Schedule II.
- **4. Quality**.—For the purposes of these rules, the quality of Kusum Seed shall be as specified in Schedule II.
- **5. Grade designation mark**.—The grade designation mark shall be "AGMARK insignia" consisting of a design incorporating the certificate of authorisation number, the word "AGMARK", name of commodity and grade designation resembling the design as set out in Schedule I.
- **6. Method of packing.**—(1) Kusum Seeds shall be packed in sound, clean and dry containers made of jute or cloth bags or polywoven bags with inner lining of food-grade material or pouches made of polypropylene or polyethylene or paper bags laminated with polypropylene or polyethylene or any food grade material as approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
- (2) The packing material shall be free from insect and fungal infestation and should not impart any toxic substance or undesirable odour or flavour to the product.
- (3) Kusum seed shall be packed in pack sizes as per the provisions in the Legal Metrology (packaged commodities) Rules, 2011 made under sub-section (1) read with clauses (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) or as per the instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.

- (4) Graded material of small pack sizes of the same lot or batch and grade may be packed in a master container with complete details thereon along with grade designation mark.
- (5) Each package shall contain Kusum Seed of the same type and of the same grade designation.
- (6) Each package shall be properly and securely closed and sealed so as to preclude any contamination.
- 7. **Method of Marking.**—(1) The grade designation mark shall be securely affixed to or printed on each package in a manner approved by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules.
- (2) In addition to the grade designation mark, following particulars shall be clearly and indelibly marked on each package, namely:—
 - (a) Name of the commodity;
 - (b) Grade;
 - (c) Variety or trade name (optional);
 - (d) Lot number;
 - (e) Date of packing;
 - (f) Address of the place of packing;
 - (g) Net weight;
 - (h) Name and address of the packer;
 - (i) Maximum retail price (inclusive of all taxes);
 - (j) Best before _____month ____year
 - (k) Any other particulars as may be specified under the Legal Metrology (Packaged commodities) Rules, 2011, the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) or any other law being in force or instructions issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorized by him in this behalf.
- (3) The ink used for marking on packages shall not contaminate the Kusum Seed.
- (4) The authorised packer, may, after obtaining prior approval of the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with rule 11 of the General Grading and Marking Rules, mark his private trade mark or trade brand on the graded packages which do not indicate quality other than that indicated by the grade designation mark affixed to the graded packages in accordance with these rules.
- **8. Special conditions of certificate of authorisation.**—(1) In addition to the conditions specified in the subrule (8) of rule 3 of the General Grading and Marking Rules, every authorised packer shall follow all the instructions specified by the Agricultural Marketing Adviser from time to time.
- (2) The premises shall be maintained in hygienic and sanitary conditions with proper ventilations and well lighted arrangement and the personnel engaged in these operations should be in sound health and free from any infectious, contagious or communicable diseases.
- (3) The authorised packer shall have storage facilities with pucca floor and free from rodent and insect infestation.
- (4) The authorised packer shall comply with all instructions regarding grading, packing, marking, sealing and maintenance of records which may be issued by the Agricultural Marketing Adviser or an officer authorised by him in this behalf in accordance with the General Grading and Marking Rules from time to time.

Schedule I

(See rule 5)

(Design of Agmark insignia)



Name of commodity_	
Grade	

Schedule II

(See rules 3 and 4)

Grade designation and quality of Kusum Seed

- 1. Kusum Seed shall be obtained from the plant *Schleichera oleosa* (Lour.) Merr. Syn. *S. trijuga* Willd. of the family *Sapindaceae* for oil milling and not meant for human consumption.
- 2. Minimum requirements: (i) Kusum Seed shall be—
 - (a) wholesome, mature, clean and dried;
 - (b) uniform in size, shape and colour,
 - (c) free from living insects, dead insects and insect fragments;
 - (d) free from fungus infestation, mould growth;
 - (e) free from added artificial colouring matter;
 - (f) free from rodent hair and excreta;
 - (g) free from other than Kusum seed;
 - (h) free from rancidity and mustiness;
- (ii) the odour and flavour of the seeds when ground and moistened shall be fresh.
- 3. Criteria for grade designation and quality of Kusum Seed:

Table

Grade designation	Moisture, per cent by weight (max.)	Organic extraneous matter, percent by weight (max.)	Inorganic extraneous matter, percent by weight (max.)	Damaged, shriveled and immature seed, percent by weight (max.)	Oil content (on dry basis) percent by weight (min.)	Acid value of the extracted oil (max.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Special	6.0	0.5	0.2	1.0	32.0	3.0	
Standard	6.0	1.0	1.0	2.0	30.0	5.0	
General	7.0	2.0	2.0	4.0	28.0	8.0	

- 4. Other requirements:
- (i) The condition of the Kusum Seed shall be such so as to enable it—
 - (a) to withstand transport and handling; and
 - (b) to arrive in satisfactory condition at the place of destination;
- (ii) Kusum Seed shall be stored in dry place, maintained in a clean and hygienic condition.

Explanations:—

- 1. "Organic matter" consisting of husk, straws, weeds, and other inedible grains.
- 2. Inorganic matter" consisting of metallic pieces, dust, sand, gravel, stones, dirt, pebbles, lumps of earth, clay & mud and animal filth.
- 3. Damaged seeds mean seeds that are internally damaged as a result of heat, micro and moisture which materially affects the quality;
- 4. Immature and shriveled seeds mean seeds that are not properly developed.

[File No. 18011/04/2014-M-II]

PRASANTA KUMAR SWAIN, J. Secy. (Marketing)